अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2016

सा.का.नि. 340(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय) उप निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम 1999, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में उप निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय) उप निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.-** पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन अथवा उससे संलग्न वेतनमान वही होगा, जो इस नियमावली में संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि**.- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6.व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप निदेशक (राजभाषा)	18* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह ' क ' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैण्ड – 3, 15600-39100/- रुपए, ग्रेड वेतन – 6600/- रुपए	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए विहित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनमें से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन बैण्ड-3, 15600-39100/-रु.+ ग्रेड वेतन 5400/-रु. में ऐसे सहायक निदेशक (राजभाषा), जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा राजस्व विभाग द्वारा विहित संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण किया हो। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1.अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली — अध्यक्ष 2.सदस्य (राजस्व), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली — सदस्य 3.प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशासन), नई दिल्ली — सदस्य	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या कानूनी निकायों या स्वायत्त निकायों या अर्ध सरकारी संगठनों के वे अधिकारी,- क(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैण्ड 3 में 15600-39100/-रु.+ ग्रेड वेतन 5400/-रु. अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा कर ली हो ; तथा ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों : आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हो ; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री तथा स्नातक डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हो ; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिंदी माध्यम में स्नातकोत्तर डिग्री और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हो ; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर डिग्री और स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हो ; अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री तथा स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हो अथवा दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में हो और दूसरा अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हो। (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं में, हिंदी में		

शब्दावली के प्रयोग या उपयोजन करने (शब्दावली कार्य) और अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य में, अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य में पांच वर्ष का अनुभव; या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षण अथवा हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान में पांच वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हिंदी से भिन्न किसी अन्य भाषा में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं के स्तर तक अध्ययन किया हो। **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति दवारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4 :** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन हेतु किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

[फा.सं.प्रशा.3004(1)/रा.भा.प्र./भर्ती नियम/2015-16]

सुरभि अहलुवालिया, अपर महानिदेशक (ज.सं.मु.प्र.व.रा.भा.), कें.प्र.क. बोर्ड

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2016

G.S.R 340(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Board of Direct Taxes (Attached & Subordinate Offices) Deputy Director (Official Language) Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Official Language) in the Attached and Subordinate Offices in the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely **:-**

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes (Attached and Subordinate Offices), Deputy Director (Official Language) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.-** The number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

(iii) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(iv) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are special grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax.-** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director (Official Language).	18 * (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non Ministerial.	Pay band-3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs.6600/-.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion : Assistant Director (Official Language) in the pay band-3, Rs.15600-39100/-with grade pay of Rs. 5400/- with five years' regular service in the grade and have successfully completed mandatory training of two to four weeks in the relevant field from the institute to be prescribed by the Department of Revenue. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. **Deputation (including short term contract) :** Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or recognised research institutions or statutory bodies or autonomous bodies or semi-Government organisations,- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay band-3, Rs.15600-39100/- with grade pay of Rs. 5400/-, or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : Essential : (i) Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level ; or Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level ; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level ; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1.Chairman, Central Board of Direct Taxes, New Delhi - Chairman 2. Member (Revenue), Central Board of Direct Taxes, New Delhi - Member 3. Pr. Director General of Income Tax (Administration), New Delhi - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level ; or Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level. (ii) Five years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under the Central Government or State Governments or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research or educational institutions ; or Five years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central Government or State Governments or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research or educational institutions. **Desirable :** Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule to the Constitution at 10^{th} level from a recognised Board. **Note 1 :** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2** : The period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3 :** The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1^{st} January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No. Admn.3004(1)/OLD/RRs/2015-16]

SURABHI AHLUWALIA, Additional Director General (PR,PP & OL), CBDT

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.